

अति-आवश्यक

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर

क्रमांक:एस्ते/एम/एफ.10()/आरएमएस(टी)/डीएलबी/17/4505-4695 दिनांक: 20/04/17

आयुक्त/अधिशायी अधिकारी

नगर निगम/परिषद्/पालिका

समस्त राजस्थान।

विषय:- राजस्थान नगर पालिका (प्रशासनिक एवं तकनीकी) सेवा एवं राजस्थान नगर पालिका (मंत्रालयिक एवं अधीनस्थ) सेवा के अन्तर्गत अभियन्तागण/तकनीकी अधिकारीगण के विरुद्ध विचाराधीन जांच/दण्डादेश की जानकारी भिजवाने हेतु।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आपके नगर निकाय में कार्यरत राजस्थान नगर पालिका (प्रशासनिक एवं तकनीकी) सेवा के अधिशायी अभियन्ता/सहायक अभियन्ता (सिविल/यान्त्रिक/विद्युत), सहायक नगर नियोजक एवं राजस्थान नगर पालिका (मंत्रालयिक एवं अधीनस्थ) सेवा के कनिष्ठ अभियन्ता/अभियान्त्रिकी अधीनस्थ (सिविल/यान्त्रिक/विद्युत)/ड्राफ्ट्समैन के विरुद्ध आपके स्तर से सीसीए नियम-16 व 17 के तहत अब तक की गई कार्यवाही/ विचाराधीन जांच/जारी दण्डादेश आदि की जानकारी निम्न प्रपत्र में संकलित करवाकर समस्त संबंधित दस्तावेज, आरोप पत्र एवं दण्डादेश की छायाप्रति सहित पत्र प्राप्ति के सात दिवस में विभाग को भिजवाना सुनिश्चित करावें। यदि किसी तकनीकी अधिकारी/अभियन्ता के विरुद्ध कोई जांच विचाराधीन नहीं है, तो इस आशय का प्रमाण-पत्र भिजवावें।

प्रपत्र

राजस्थान नगर पालिका (प्रशासनिक एवं तकनीकी) सेवा एवं राजस्थान नगर पालिका (मंत्रालयिक एवं अधीनस्थ) सेवा के तकनीकी अधिकारी/अभियन्तागण (सिविल/यान्त्रिक/विद्युत) के विरुद्ध सीसीए नियम-16 व 17 के तहत अब तक की गई कार्यवाही/विचाराधीन जांच का विवरण

क्र.सं.	नाम अधिकारी व पद	जांच से संबंधित निकाय	आरोप पत्र देने का दिनांक	आरोपों का संक्षिप्त विवरण	जांच की वर्तमान स्थिति/दण्डादेश	विशेष विवरण

(मुकेश कुमार मीणा)
अतिरिक्त निदेशक

अति-आवश्यक

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर

क्रमांक: एस्टे/एम/एफ.10()/आरएमएस(टी)/डीएलबी/17/

दिनांक: 20/04/17
4696-4702

उप निदेशक (क्षेत्रीय)
स्थानीय निकाय विभाग,
समस्त राजस्थान।

विषय:- राजस्थान नगर पालिका (प्रशासनिक एवं तकनीकी) सेवा एवं राजस्थान नगर पालिका (मंत्रालयिक एवं अधीनस्थ) सेवा के अन्तर्गत अभियन्तागण/तकनीकी अधिकारीगण के विरुद्ध विचाराधीन जांच/दण्डादेश की जानकारी भिजवाने हेतु।

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के क्रम में लेख है कि आपके क्षेत्राधिकार के नगर निकायों में कार्यरत राजस्थान नगर पालिका (प्रशासनिक एवं तकनीकी) सेवा के अधिशाषी अभियन्ता/सहायक अभियन्ता (सिविल/यान्त्रिक/विद्युत), सहायक नगर नियोजक एवं राजस्थान नगर पालिका (मंत्रालयिक एवं अधीनस्थ) सेवा के कनिष्ठ अभियन्ता/अभियान्त्रिकी अधीनस्थ (सिविल/यान्त्रिक/विद्युत)/ड्राफ्ट्समैन के विरुद्ध आपके स्तर से सीसीए नियम-16 व 17 के तहत अब तक की गई कार्यवाही/ विचाराधीन जांच/जारी दण्डादेश आदि की जानकारी निम्न प्रपत्र में संकलित करवाकर समस्त संबंधित दस्तावेज, आरोप पत्र एवं दण्डादेश की छायाप्रति सहित पत्र प्राप्ति के सात दिवस में विभाग को भिजवाना सुनिश्चित करावें। यदि किसी तकनीकी अधिकारी/अभियन्ता के विरुद्ध आपके कार्यालय में कोई जांच विचाराधीन नहीं है, तो इस आशय का प्रमाण-पत्र भिजवावें।

प्रपत्र

राजस्थान नगर पालिका (प्रशासनिक एवं तकनीकी) सेवा एवं राजस्थान नगर पालिका (मंत्रालयिक एवं अधीनस्थ) सेवा के तकनीकी अधिकारी/अभियन्तागण (सिविल/यान्त्रिक/विद्युत) के विरुद्ध सीसीए नियम-16 व 17 के तहत अब तक की गई कार्यवाही/विचाराधीन जांच का विवरण

क्र.सं.	नाम अधिकारी व पद	जांच से संबंधित निकाय	आरोप पत्र देने का दिनांक	आरोपों का संक्षिप्त विवरण	जांच की वर्तमान स्थिति/दण्डादेश	विशेष विवरण

(मुकेश कुमार मीणा)
अतिरिक्त निदेशक

गोपनीय
अत्यावश्यक

राजस्थान सरकार
निदेशालय स्थानीय निकाय, राज0 जयपुर

क्रमांक: एस्टे/एम/एफ.10()/आरएमएस(टी)/डीएलबी/17/4703-4719 दिनांक: 20/04/17

परियोजना निदेशक/कार्यकारी निदेशक/प्रबन्ध निदेशक
आर0यू0आई0डी0पी0/रूड़सिको/राविल, जयपुर।

सचिव
जयपुर/जोधपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर/जोधपुर।

सचिव,
नगर विकास न्यास,
.....।

विषय:- वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन की पूर्ति कर भिजवाने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि विभाग में उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार आपके निकाय में कार्यरत राजस्थान नगर पालिका सेवा के अधिशाषी/सहायक/कनिष्ठ अभियन्ता के वर्ष 2009-10 से वर्ष 2016-2017 तक के मध्य बकाया वर्षों के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन विभाग को प्राप्त होना अपेक्षित है।

अतः कार्यरत अधिशाषी/सहायक/कनिष्ठ अभियन्ताओं के बकाया वर्षों के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन तैयार करवाकर विभाग को तीन दिवस में आवश्यक रूप से भिजवाने का श्रम करावें।

(मुकेश कुमार मीणा)
अतिरिक्त निदेशक

क्रमांक: एस्टे/एम/एफ.10()/आरएमएस(टी)/डीएलबी/17/4720-4820 दिनांक: 20/04/17

प्रतिलिपि : संबंधित अधिशाषी/सहायक/कनिष्ठ अभियन्ता को भेजकर लेख है कि वांछित बकाया वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन व्यक्तिगत रूप से तैयार करवा कर विभाग को भिजवाना सुनिश्चित करें।

(मुकेश कुमार मीणा)
अतिरिक्त निदेशक

गोपनीय
अत्यावश्यक

राजस्थान सरकार
निदेशालय स्थानीय निकाय, राज0 जयपुर

क्रमांक: एस्टे/एम/एफ.10()/आरएमएस(टी)/डीएलबी/17/4821-5011 दिनांक: 20/04/17
आयुक्त/अधिशायी अधिकारी,
नगर निगम/परिषद्/पालिका,
समस्त राजस्थान।

विषय:- वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन की पूर्ति कर भिजवाने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि विभाग में उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार आपके निकाय में कार्यरत राजस्थान नगर पालिका सेवा के अधिशायी/सहायक/कनिष्ठ अभियन्ता के वर्ष 2009-10 से वर्ष 2016-2017 तक के मध्य बकाया वर्षों के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन विभाग को प्राप्त होना अपेक्षित है।

अतः कार्यरत अधिशायी/सहायक/कनिष्ठ अभियन्ताओं के बकाया वर्षों के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन तैयार करवाकर विभाग को तीन दिवस में आवश्यक रूप से भिजवाना सुनिश्चित करें।

(मुकेश कुमार मीणा)
अतिरिक्त निदेशक

क्रमांक: एस्टे/एम/एफ.10()/आरएमएस(टी)/डीएलबी/17/5012-5662 दिनांक: 20/04/17
प्रतिलिपि : संबंधित अधिशायी/सहायक/कनिष्ठ अभियन्ता नगर निगम/परिषद्/पालिका
समस्त को भेजकर लेख है कि वांछित बकाया वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन व्यक्तिगत रूप से तैयार करवाकर विभाग को भिजवाना सुनिश्चित करें।

(मुकेश कुमार मीणा)
अतिरिक्त निदेशक